जनपद हरिद्वार द्वारा माह अक्टूबर में किया गया सराहनीय कार्य 2017

1-

Police Station Name	थाना सिडकुल, सर्किल सदर
Image	
Date Of good work	08.10.17
Brief	दिनांक 08.10.17 को थाना सिडकुल पर सुखपाल पुत्र कालेसिंह नि0 रामनगर कालोनी डैन्सो चैक थाना सिडकुल हरिद्वार द्वारा थाने आकर लिखित सूचना दी कि मेरा भाई बाबूराम पुत्र काले सिंह नि0 उपरोक्त दिनांक 06.10.17 को शाम करीब 05-30 बजे घर से सामान लेने बाजार रावली महदूद गया था और वापस लौट कर नहीं आने के सम्बन्ध में थाना सिडकुल पर बाबूराम की गुमशुदगी पंजीकृत की गयी। दिनांक 08.10.17 को ही दिन में करीब 12 बजे रूडकी कोतवाली क्षेत्रान्तगत एक खेत में बाबूराम का शव मिला जिसकी गला दबाकर हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा था। जिसके उपरान्त बाबूराम के दामाद सुनील कुमार राणा पुत्र राजेन्द्र राणा नि0 ग्राम कमाला थाना सिंघावाली अहीर जिला बागपत उ0प्र0 द्वारा अपने ससुर बाबूराम की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर गुमशुदगी को मु0अ0सं0 331/17 धारा 302,201 भादवि में पंजीकृत किया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एंव क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सिडकुल को अलग-अलग टीम बनाकर घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम प्रभारी थानाध्यक्ष सिडकुंल हत्या के अनावरण हेतु अलग-अलग टीमें गठित की गयी। जिसमें पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगणों के सम्बन्ध में सुरागरस्सी पतारस्सी कर मृतक के परिजनों एंव आसपास के लोगों से जानकारी एकत्र की गयी। पुलिस टीम द्वारा गहन पूछताछ व जानकारी एकत्र करने के पश्चात यह प्रकाश में आया कि सुखपाल व बाबूराम ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर रामनगर कालोनी डैन्सो चैक के पास एक मकान मिलकर खरीदा है इस मकान में सुखपाल का एक तिहाई हिस्सा था जबकि बाबूराम का एक हिस्सा था। सुखपाल की पत्नि व बाबूराम की पत्नि आपस में सगी बहने है इसलिए उक्त मकान बाबूराम की पत्नि गीता के नाम पर खरीदा था। 02 वर्ष पहले ही बाबूराम के पैर की नश में ब्लाक आ गया जिससे उसे कामकाज में दिक्कत आने लगी और वहघर में ही बैरोजगार रह रहा था। बाबूराम शराब पीने का आदी था और वह शराब पीकर घर पर आये दिन हंगामा करता था जिससे सुखपाल व उसका पूरा परिवार परेशान था बाबूराम ने उक्त मकान को गिरवी रखकर 1 लाख रूप्ये

उधार लिया था और कुछ दिनों बाद बाबूराम उक्त मकान को बेचने के लिए ग्राहक ढूढने लगा जब यह बात सुखपाल को पता चली तो सुखपाल ने बाबूराम को काफी समझाया पर वह नहीं माना और बाबूराम मकान बेचने की जिद पर अडा रहा। तो सुखपाल ने बाबूराम को मारकर रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की बात सोची और अपने रिश्ते के भांजे देवा उर्फ सन्नी उर्फ कलवा उम्र-27 पुत्र राजेश्वर निवासी ग्राम नगली साधारण थाना दौराला जिला मेरठ उ0प्र0 हाल पता केयर ऑफ स्व0 बाबूराम निवासी रामनगर कालोनी डैन्सो चैक थाना सिडकुल हरिद्वार से बाबूराम को मारने की योजना बनायी और बाबूराम को मारने में अपना साथ देने के लिए 01 लाख रूपये देने की बात तय की फिर सुखपाल व देवा उर्फ सन्नी ने बाबूराम को किसी बहाने से घर से बाहर बुलाकर उसे शराब पिलाकर उसे गाडी में ले जाकर मारने की योजना बनायी फिर देवा उर्फ शनि उर्फ कलवा ने अपने दोस्त रविश से उसकी स्कोडा रैपिड कार UK08AE6955अपने घर जाने के बहाने मांग ली फिर दोनों ने दिनांक 06.10.17 को शाम 5-30 बजे करीब बाबूराम को शराब पीने के बहाने घर से बुलाया और फिर उसे रविश की कार में बैठाकर दोनों राजा बिस्कुट देशी ठेके पर गये ओर वहाॅ से शराब की बोतल ली ओर फिर वहाॅ से बहादराबाद की ओर नहर पटरी पर चले नहर पटरी पर सुनसान जगह कार में बैठकर शराब पी पहले उनका विचार बाबूराम को मारकर नहर में फेकने का था लेकिन नहर में पानी बंद होने के कारण दोनों वापस बहादराबाद की ओर हाईवे से रूडकी की तरफ चल दिये और कोर काॅलिज से आगे निर्माणाधीन रूडकी बाईपास पर सडक सुनसान थी तो सुखपाल व देवा ने नसे में धुत बाबूराम को कार के अन्दर ही उसके गले में चुन्नी का फंदा डालकर गला घोंटकर मार दिया जब बाबूराम मर गया तो सुखपाल व देवा उर्फ शनि उर्फ कलवा ने बाबूराम की लाश को कार से निकालकर सडक किनारे चरी के खेत में को फेंक दिया और फिर वापस अपने घर रामनगर कालोनी सिडकुल आ गये थे किसी को शक ना हो इसीलिए दिनांक 08.10.17 को सुखपाल ने सिडकुल थाने में अपने भाई बाबूराम की गुमशुदगी लिखायी थी।

पुलिस टीम को दिनांक 10.10.2017 को सूचना मिली कि शक्ति भोग कम्पनी के पीछे सुखपाल व देवा उर्फ सन्नी स्कोडा रैपिड कार नं0 UK08AE6955 में बैठे है तथा कहीं भागने के चक्कर में है इस सूचना पर पलिस टीम द्वारा कार में ड्राईवर सीट पर बैठे 1-देवा उर्फ शनि उर्फ कलवा पुत्र राजेश्वर निवासी ग्राम नगली साधारण थाना दौराला जिला मेरठ उ0प्र0 हाल पता केयर ऑफ स्व0 बाबूराम निवासी रामनगर कालोनी डैन्सो चैक थाना सिडकुल हरिद्वार व बगल में ड्राईवर सीट के बगल में बैठे 2-सुखपाल पुत्र कालेसिंह नि0 ग्राम दरियाबाग थाना ककरौली जिला मेरठ उ0प्र0 हाल पता रामनगर कालोनी डैन्सो चैक थाना सिडकुल हरिद्वार को पकड लिया।

2-

Police Station Name	थाना झबरेड़ा, सर्किल मंगलौर
Image	
Date Of good work	24.10.17
Brief	दिनांक 24.10.17 को थाना झबरेड़ा क्षेत्रान्तर्गत वाहन चोरी की रोकथाम हेतु सघन चैकिंग अभियान चलाकर ग्राम भलस्वागाज बनारसी तिराहे पर संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर कि ग्राम बिनारसी की और से दो लड़के एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्रो रंग काला जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी है को बेचने के लिए डंकोवाली खेडा मुगल की तरफ जा रहे हैं। उक्त सूचना की सघन चैकिंग के दौरान 1-नीरज पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम डंकोवाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर मूल निवासी ग्राम देदपुरा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर उ0प्र0 हाल किरायेदार बबलू निवासी सिसोना थाना भगवानपुर व अंकुर पुत्र श्री अमरीश निवासी ग्राम साकन थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उ0प्र0 हाल निवासी ग्राम सिसोना थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार में उक्त चोरी की मो0सा0 के साथ गिरफ्तार किया गया दौराने पूछताछ उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा हरिद्वार से चोरी की गयी मो0साईकिलों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर सहारनपुर में बेचना तथा सहारनपुर यमुनानगर,से चोरी कर मोटर साईकिल हरिद्वार में बेचना बतायागया अभियुक्तगणों की निशादेही पर चोरी की निम्नलिखित मोटर साईकिलें नीरज के कमरे से बरामद की गयी। तथा साथ ही बोबी पुत्र राजेन्द्र निवासी सिसौना थाना भगवानपुर हरिद्वार को मौके से गिरफ्तार किया गया।

3-

Police Station Name	कोतवाली रूड़की, सर्किल रूडकी
Image	
Date Of good work	7.10.17
Brief	दिनांक 7.10.17 व 18.10.17 थाना कोतवाली रूड़की में पंजीकृत मु0अ0स0 372/17 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0स0 398/17 धारा 457/380 भादवि में हुयी चोरी के सम्बन्ध में मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी रुड़की के निकट परिवेक्षण में जिस पर अलग-अलग टीमें बनायी गयी द्वारा क्षेत्राधिकारी रुड़की के निकट परिवेक्षण में जिस पर पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी के घटनाओ के सम्बन्ध में तीन अभि0गणों को दि0 03.11.17 को गिरफ्तार किया गया। अभि0गणो 1. मंयक उर्फ टिन्कू पुत्र नत्थू राम नि0 22/18 मौ0 जैन गली रेलवे रोड़ खतरीखड़ी थाना बडौत जिला बागपत हाल निवासी C/o मोन्टी चावला पुत्र महेन्द्र नि0 33/36 आवास विकास थाना गंगनहर हरिद्वार, 2. उधम सिंह उर्फ लंगड़ा पुत्र स्व0 खचेड़ू सिंह नि0 ग्राम मंसूरी थाना इन्चैली जिला मेरठ हाल अजय ठाकुर नई बस्ती सहाबुद्दीन रोड़ रामपुरी कोतवाली मु0नगर 3. दीपक धीमान पुत्र सुखबीर सिंह नि0 ग्राम हसनपुर लुहारी थाना भवन जिला शामली हाल आमोद कुंज छष्भ् गेट के पास IIT रूड़की को गिरफ्तार किया है। अभि0गणो से पूछताछ करने पर बताया कि दीपक धीमान पुत्र सुखबीर सिंह नि0 ग्राम हसनपुर लुहारी थाना भवन जिला शामली हाल आमोद कुंज NIH गेट के पास IIT:M+dh के द्वारा दीपावली से दो दिन पूर्व वादी मुकदमा के घर पर बिजली का काम किया था तथा वादी मुकदमा द्वारा दीपक को अवगत कराया गया कि वह नोएड़ा अपने बेटे के पास जा रहे है। इस सूचना पर दीपक द्वारा उक्त घर की रैकी करायी गयी। दिनांक 03.11.17 को उक्त तीनो अभि0गणो की गिरफ्तारी की गयी।